

कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०—..... 82 / 2017-18

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
26-10-2020	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>विनगाँव</u> थाना नं० <u>132</u> खाता नं० <u>69/1</u> खेसरा नं० <u>35</u>, <u>510</u> रकबा <u>6.54</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या <u>2</u> के पृष्ठ संख्या <u>71</u> पर जमाबंदी रैयत <u>शर्मिला देवी</u> पिता/पति <u>श्री रामदास गुप्ता</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख दिनांक <u>4/11/2020</u> को रखें।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा।</p>	<p>अंचल अधिकारी कर्रा।</p>

आदेश का क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
06-11-2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। जमाबंदी रैयत उर्मिला देवी पति रामदास गुप्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सादा हुकुमनामा वर्ष 31.08.1973 एवं मालगुजारी रसीद सं० 6609447 वर्ष 2013-14 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है, जो बिन्दुवार निम्नवत है:-</p> <p>खतियान की स्थिति:- मौजा बिनगाँव, थाना नं० 132 के सर्वे खतियान में खाता सं० 69 प्लॉट नं० 35 एवं 510 रकबा क्रमशः 6.54 1.23 कुल रकबा 7.77 एकड़ भूमि गैरमजूरुआ खास परती पत्थर, परती कदीम दर्ज है।</p> <p>पंजी ii की स्थिति :- मांग पंजी ii पृष्ठ सं० 71 भाग सं० I में दर्ज जमाबंदी रैयत उर्मिला देवी पति रामदास गुप्ता साकिन ठाकुरगाँव के नाम से खाता सं० 69/1 प्लॉट नं० 35 एवं 510 रकबा क्रमशः 6.54 1.23 कुल रकबा 7.77 एकड़ दर्ज है। पंजी II में जमाबंदी का कोई आधार दर्ज नहीं है। उक्त भूमि पर पंजी II रैयत का दखल कब्जा नहीं है। जमाबंदी रैयत उक्त ग्राम में नहीं रहते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार पंजी II के पृष्ठ सं० 71 भाग I पर दर्ज खाता सं० 69 प्लॉट नं० 35 एवं 510 रकबा क्रमशः 6.54 1.23 कुल रकबा 7.77 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने तथा किस्म परती पत्थर होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा बिनगाँव थाना नं० 132 के सर्वे खतियान में खाता सं० 69 प्लॉट नं० 35 एवं 510 रकबा क्रमशः 6.54 1.23 कुल रकबा 7.77 एकड़ भूमि को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	